न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,(प्रशासन) बीकानेर

बईजलास श्री ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा 47/2012 रेफरेंस (राजस्व विविध)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजुवाला जिला बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

1– जगदेव सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जटसिख सा 17 केवाईडी'ए' खाजुवाला
2– सुखपाल सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जटसिख सा 17 केवाईडी'ए' खाजुवाला
3– राजेन्द्र सिंह पुत्र निछगसिंह जाति जटसिख सा 17 केवाईडी'ए' खाजुवाला

अप्रार्थीगण

::रेफरेंस अन्तर्गत धारा 232 राज. काश्त. अधि. 1955 एवं सपठित धारा 82 एवं 88 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

2– अप्रार्थी की ओर से – श्री धीरेन्द्रसिंह भदौरिया अधिवक्ता

आदेश दिनांक 28.0.6.2019

1– प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार खाजुवाला ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 17 केवाईडी 'ए' पुराना गांव बेरियावालीं तहसील खाजुवाला के खसरा नम्बर 143 के मुरब्बा नम्बर 116/64 किला नम्बर 1 ता 12, 19 ता 22 की कुल 16 बीघा भूमि जिसकी सूची नम्बर 4 के अनुसार चक व मुरब्बा नम्बर 116/64 बने जो गैर मुमकीन जोहड़ मजकुर दर्ज था। सहायक उपनिवेशन छत्तरगढ़ के निर्णय दिनांक 18.5.1974 के द्वारा जगदेव, सुखपाल पिसरान जसकरण सिंह एवं राजेन्द्रसिंह पुत्र निछगसिंह साकिन 17 केवाईडी 'ए' खाजुवाला को आवंटन कर दी। आवंटन की गई भूमि विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेंस करने हेतु निवेदन किया गया।

2– रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी एवं अधिनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपस्थित आकर जवाब रेफरेंस प्रस्तुत किया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

3– तदन्तर विभागीय प्रतिनिधि व अप्रार्थी पक्ष के विद्वान अभिभाषक की मामले के गुणावगुण पर बहस सुनी गई ।

4– स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि चक 17 केवाईडी 'ए' पुराना गांव बेरियावालीं तहसील खाजुवाला के खसरा नम्बर 143 के मुरब्बा नम्बर 116/64 किला नम्बर 1 ता 12, 19 ता 22 की कुल 16 बीघा भूमि जिसकी सूची नम्बर 4 के अनुसार चक व मुरब्बा नम्बर 116/64 बने। जो गैर मुमकीन जोहड़ मजकुर दर्ज थी। सहायक उपनिवेशन छत्तरगढ़ के निर्णय दिनांक 18.5.1974 के द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वज सौदागरसिंह पुत्र जीवनसिंह जाति जटसिख सा. गदरखेडा को आवंटित कर दी गई। जो वसीयत द्वारा अप्रार्थीगण के नाम नामान्तरण संख्या 226 दिनांक 17.9.09 से दर्ज रिकार्ड है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 में इस प्रकार के आवंटनों को अवैध माना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (3) के अनुसार गैर मुमकीन आगौर पायतन की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। सहायक आयुक्त उपनिवेशन इ.गा.न.प. योजना छत्तरगढ़ द्वारा किया गया आवंटन विधि विरूद्ध व स्वतः ही शून्य आदेश है। रेफरेंस करने की मियाद निर्धारित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेफरेंस आदेश फरमाया जावे।

5– अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि चक 17 केवाईडी 'ए' पुराना गांव बेरियावालीं तहसील खाजुवाला के खसरा नम्बर 143 के मुरब्बा नम्बर 116/64 किला नम्बर 1 ता 12, 19 ता 22 की कुल 16 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के स्व. दादाजी श्री सौदागर सिंह पुत्र जीवणसिंह को तत्कालीन सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ द्वारा सामान्य श्रेणी में पुख्ता आवंटन किया गया था। आवंटी सौदागर सिंह ने उक्त भूमि को हजारों रूपये लगाकर काश्त योग्य बनाया। सौदागर सिंह की मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण मौके पर काबिज है। मौके पर किसी प्रकार को जोहड़ पायतन नहीं है, ना ही उक्त भूमि आगौर की है। शुद्ध रकबाराज में अप्रार्थीगण के पूर्वज को आवंटन किया गया है। अप्रार्थी को उपनिवेशन एक्ट 1954 के नियमों के तहत आवंटन किया गया है और काश्तकारी अधिनियम 1955 को बना है। इसलिए उपनिवेशन एक्ट 1954 के प्रावधानों पर बाद के एक्ट 1955 की धारा 16 लागू नहीं होती है । उपनिवेशन एक्ट एवं उपनिवेशन आवंटन नियमों में जोड़ पायतन का रकबा आवंटन करने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान में

अति. जिला कलक्टर
(राजस्व), बीकानेर

Scanned by CamScanner

आरक्षित कीमत की चार गुनी कीमत लेकर आवंटन करने का प्रावधान है। नहरी क्षेत्र में जोहड़ पायतन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उपनिवेशन क्षेत्रों में नहरों से पानी लगता है। खाले एवं पानी डिग्गीयां बन चुकी है इसलिए पानी का जरिया नहरे है न की जोहड़ इत्यादि। डी0बी सिविल जनहित याचिका के आदेश दिनांक 2.8.2004 की व्याख्या गलत रूप से की गई है। प्रस्तुत मामले में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं किये जा सकते है। उपनिवेशन अधिनियम 1954 अलग से कानून है जो विशेष क्षेत्र पर लागू होता है। जहां बारानी भूमि हो वहां वर्षा का पानी जोहड़ में भरा जाता है वहां जोहड़ पायतन को आवंटन नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी के आवंटन आदेशों में जोहड़ पायतन भूमि का अंकिन नहीं है। जिसे रेफरेंस के जरिये निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत रेफरेंस 42 वर्ष बाद मियाद बाहर प्रस्तुत किया है, जो कानून रूप से मेंटेनेबल नहीं है। रेफरेंस करने का कोई अधिकार नहीं है कानूनन जहां अपील का प्रावधान है वहां पर अपील ही करनी चाहिए। अतः प्रस्तुत रेफरेंस इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता ने इस सन्दर्भ में आरआरडी 2004 पेज 482, आरआरडी 2005 पेज 365, 712 आरआरडी 2000 पेज 2052 व आरबीजे 2006 पेज 166 के उद्धहरण पेश किये ।

6– हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली व न्यायालय में जैर पत्रावली एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्वरणों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। मिसल बंदोबस्त में प्रश्नगत भूमि जोहड़ मजकूर दर्ज रिकार्ड है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 (3) के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की है। इस भूमि को ना तो आवंटन किया जा सकता है व ना ही खातेदारी अधिकार अर्जित होते है। डीबी सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपने निर्णय दिनांक 2.8.04 द्वारा ऐसे आवंटनों को अवैध माना है। मुतनाजा भूमि रिकार्ड में जोहड़ मजकूर की होने के कारण अप्रार्थी को किया गया आवंटन बहाल रखना हम उचित नहीं पाते है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हूबहू चस्पा नहीं होती है। हम विभागीय प्रतिनिधि की बहस से पूर्णतया सहमत होते हुवे रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

7– उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी स्टेट द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को इस अनुरोध के साथ रेफर किया जाता है कि अप्रार्थी के पक्ष चक 17 केवाईडी 'ए' पुराना गांव बेरियावालीं तहसील खाजुवाला के खसरा नम्बर 143 के मुरब्बा नम्बर 116/64 किला नम्बर 1 ता 12, 19 ता 22 की कुल 16 बीघा भूमि जिसकी सूची नम्बर 4 के अनुसार चक व मुरब्बा नम्बर 116/64 जो गैर मुमकीन जोहड़ मजकुर दर्ज था। सहायक उपनिवेशन आयुक्त इ.गा.न.प. योजना छत्तरगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.5.1974 को खारिज करते हुवे प्रश्नगत भूमि बहक सरकार ली जाकर राजस्व रिकार्ड में अराजीराज अंकित करने के निर्देश प्रदान किये जावे।

8– उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 29.08.2019 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष उपस्थित होवें।

9– आदेश आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.जिला कलक्टर(प्रशा)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner